


राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (गुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(11)एमई/गुप-1/2013

जयपुर, दिनांक : 30-5-2014


—: आदेश :-

राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 के नियम 24 बीबी के उपनियम (5) के अन्तर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की दिनांक 28-5-2014 को आयोजित बैठक की अनुशंषा पर सह आचार्य, पैथोलोजी के पद पर डीएसीपी के तहत पदोन्नति हेतु पूर्व में दिनांक 27-7-2013 को आयोजित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में डॉ० रंजना सोलंकी, सहायक आचार्य का नाम सहवन से सह आचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु सम्मिलित कर लिया गया था, जबकि डॉ० सोलंकी को वर्ष 2009-10 की रिक्तियों के विरुद्ध विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा द्वारा सह आचार्य, पैथोलोजी के पद पर पदोन्नति प्रदान की जा चुकी थी। इस कारण दिनांक 27-7-2013 को आयोजित डीएसीपी स्क्रीनिंग कमेटी बैठक की अनुशंषाओं को रिव्यू करते हुए पूर्व की अनुशंषा में क्रम संख्या-8 पर अंकित डॉ० रंजना सोलंकी का नाम एतद्वारा विलोपित किया जाता है।

आज्ञा से,

(धन्नालाल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज., जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर/उदयपुर।
7. श्री पी.पी. तिवाड़ी, सहायक प्रोग्रामर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव